भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार :

भारतीय संविधान में छ: मौलिक अधिकार दिए गए है |

(1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)

(2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद19 - 22)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

(5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)

(6) संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

1. समता का अधिकार : भारतीय संविधान में समानता को भारतीय राज्य तंत्र का आधारशिला माना गया है | इसमें सभी प्रकार से लोगों के बीच समानता स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं |

"भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंगभेद, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर उससे भेद भाव नहीं किया जायेगा | इसे ही समता का अधिकार कहते है |"

समता के अधिकार के अंतर्गत शामिल प्रावधान/बातें :

(i) कानून के समक्ष समानता

(ii) कानून का समान संरक्षण

(iii) धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव का निषेध

10:31 AM | 2.5KB/s
cbsestudy.in/cbse-notes-for
Select Class

(ii) जबरन धर्म परिवर्तन - हमारा संविधान ऐसे जबरन धर्म-परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है | यह कानूनन अपराध है |

(iii) लालच देकर धर्म परिवर्तन - भय या लालच देकर कराया गया धर्म-परिवर्तन भी कानूनन अपराध है |

धर्म का प्रचार और प्रसार का अधिकार - संविधान हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएँ प्रसारित करने का अधिकार देता है जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें |

शोषण के विरुद्ध अधिकार :

मानव-व्यापार - जब वस्तुओं की तरह औरतों और पुरुषों को बेचना, भाड़े पर उठाना अथवा अन्यथा उपयोग करना, इसके साथ-साथ औरत और लड़कियों से अनैतिक प्रयोजन के लिए व्यापार करना भी मानव-व्यापार कहलाता है |

बेगार अथवा जबरन मजदूरी - किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना और फिर उसे मजदूरी न देना अथवा उचित मजदूरी न देना बेगार कहलाता है |

हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में मुख्य दो प्रावधान हैं :

(i) मानव व्यापार तथा बेगार पर रोक : संविधान के अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव-व्यापार तथा बेगार और जबरन काम करवाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है |

(ii) बाल मजदूरी पर रोक : बाल मजदूरी को बाल शोषण भी कहा जाता हैं | चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फैक्ट्री, दुकान अथवा खान में काम पर लगाना अथवा इस प्रकार के बच्चों से कोई जोखिम वाला काम करवाना गैर कानूनी है |

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार :

अल्पसंख्यक : अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में संख्या के आधार पर वह किसी अन्य समूह से छोटा होता है। ऐसे समुदाय या जाति को अल्पसंख्यक कहते है |

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत कौन-कौन से प्रावधान है :

(i) अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है।

(ii) भाषाई या धर्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके

वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध् किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है।

संवैधानिक उपचारों के अधिकार :

संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक

10:31 AM | 2.2KB/s ⏰ ···

संवैधानिक उपचारों के अधिकार :

संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया वह अधिकार जिसके अंतर्गत वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायलय या सर्वोच्य न्यायलय जा सकता है |

प्रादेश या रिट : सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं।

संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय में डॉ भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है ?

संविधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा सभी प्राप्त अधिकारों की रक्षा की जा सकती है | डॉ अम्बेडकर ने इस अधिकार को 'संविधान का ह्रदय और आत्मा' की संज्ञा दी है |

न्यायलय द्वारा जरी रिट या प्रादेश :

संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत न्यायलय को प्राप्त अधिकार जिससे वह नागरिकों के अधिकारों के हनन को रोकता है |

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण - बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

न्यायलय द्वारा जरी रिट या प्रादेश :

संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत न्यायलय को प्राप्त अधिकार जिससे वह नागरिकों के अधिकारों के हनन को रोकता है |

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण - बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।

(2) परमादेश - यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।

(3) निषेध् आदेश - जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) उसे ऐसा करने से रोकने के लिए 'निषेध् आदेश' जारी करती है।

(4) अधिकार पृच्छा - जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय 'अधिकार पृच्छा आदेश' के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।

(5) उत्प्रेषण रिट - जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय

(5) उत्प्रेषण रिट - जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

मानवाधिकार : मानवाधिकार का अर्थ है किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को प्राप्त वह अधिकार जो एक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से या संविधान से प्राप्त है।

मानवाधिकार आयोग : मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। वर्ष 2000 मे सरकार ने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।

मानवाधिकार आयोग का गठन एवं रूपरेखा : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध् में ज्ञान या व्यावहारिक &#

(iv) रोजगार की अवसर की समानता

(v) पदवियों का अंत

(vi) छुआछुत की समाप्ति

कानून के समक्ष समानता : देश का कानून सभी के लिए समान है चाहे वह गरीब हो या अमीर हो नेता हो या आम जनता हो | देश का संविधान सभी को एक न्याय प्रणाली के द्वारा न्याय देता है इसे ही कानून के समक्ष समानता कहते हैं |

रोजगार के अवसर की समानता : हमारे संविधान द्वारा सभी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने अधिकार है | इसके लिए नागरिकों से उनके जाति, धर्म, लिंग, रंगभेद और जन्मस्थल के आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकते है |

स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता :

स्वतंत्रता का अर्थ : बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाए और बिना
कानून-व्यवस्था को ठेस पहुँचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई भी कार्य कर सकता और अपनी-अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है ।

स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल प्रावधान :

(i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ii) शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता

(iii) संगठित होने की स्वतंत्रता

(iv) भारत में कही भी आने जाने की स्वतंत्रता

(v) भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता

(vi) कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता

(vi) जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

(vii) अभियुक्तों एवं सजा पाए लोगों का अधिकार

जीवन का अधिकार :

सर्वोच्य न्यायलय ने यह माना है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है इसके लिए यह परिभाषा दी है -

'जीवन के अधिकार' का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता |

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार :

किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धरित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता।

अभियुक्त एवं सजा पाए लोगों को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार :

(i) गिरफ्तार किये जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है।

(ii) इसके अलावा, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मैजिस्टेट के सामने पेश करे।

(iii) गिरफ्तारी के समय उसके घर वालों को सूचित करना आवश्यक है |

(iv) उसे यह भी जानने का अधिकार है कि उसे क्यों और किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है |

(v) मैजिस्टेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार : किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा |

किसी भी अपराध में अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार :

ये तीन प्रकार के हैं :

(1) किसी अपराध में दण्डित व्यक्ति अथवा अभियुक्त को कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं मिलना चाहिए |

(2) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जा सकता |

(3) किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता |

बल प्रयोग :

बल प्रयोग का अर्थ है अभियुक्त को विवश करना अथवा जबरदस्ती जो वह नहीं करना चाहता है वह करवाना, जैसे - डराना-धमकाना, चोट पहुँचाना, मारना-पीटना, अथवा गैर-कानूनी तरीके से कैद करना |